

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, (अजमेर)
जिला - अजमेर
जाति प्रमाण - पत्र



कमरांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.व.जा.) /19225945052
दिनांक: 27-09-2019

आवेदक का आधार नम्बर: 931386425943

आवेदक/परिवार के मुखिया का भागासह कार्ड संख्या: 1027-D1FS-22233

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आयुष करयप पुत्र/पुत्री श्री अरविन्द कुमार गांव/नगर 390, अरविन्द कुमार, अखाड़े वाली गली, वार्ड न: - 37, बोन्स गंज, अजमेर जिला/डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 17 JATAV (17 जाटव) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, सम्बन्धित पुनर्गठन अधिनियम 1960, पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पोंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री आयुष करयप गांव/नगर 390, अरविन्द कुमार, अखाड़े वाली गली, वार्ड न: - 37, बोन्स गंज, अजमेर जिला / डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणत: निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एच.जे.ई./सम्पू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिरोस्का द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अत: सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 190235887866

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, (अजमेर)

Signature valid

Digitally signed by ANTIKA
SHUKLA
Date: 2019.09.27 15:24:37
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

